

RESTRICTED FOR POLICE USE



सी.बी.आई.

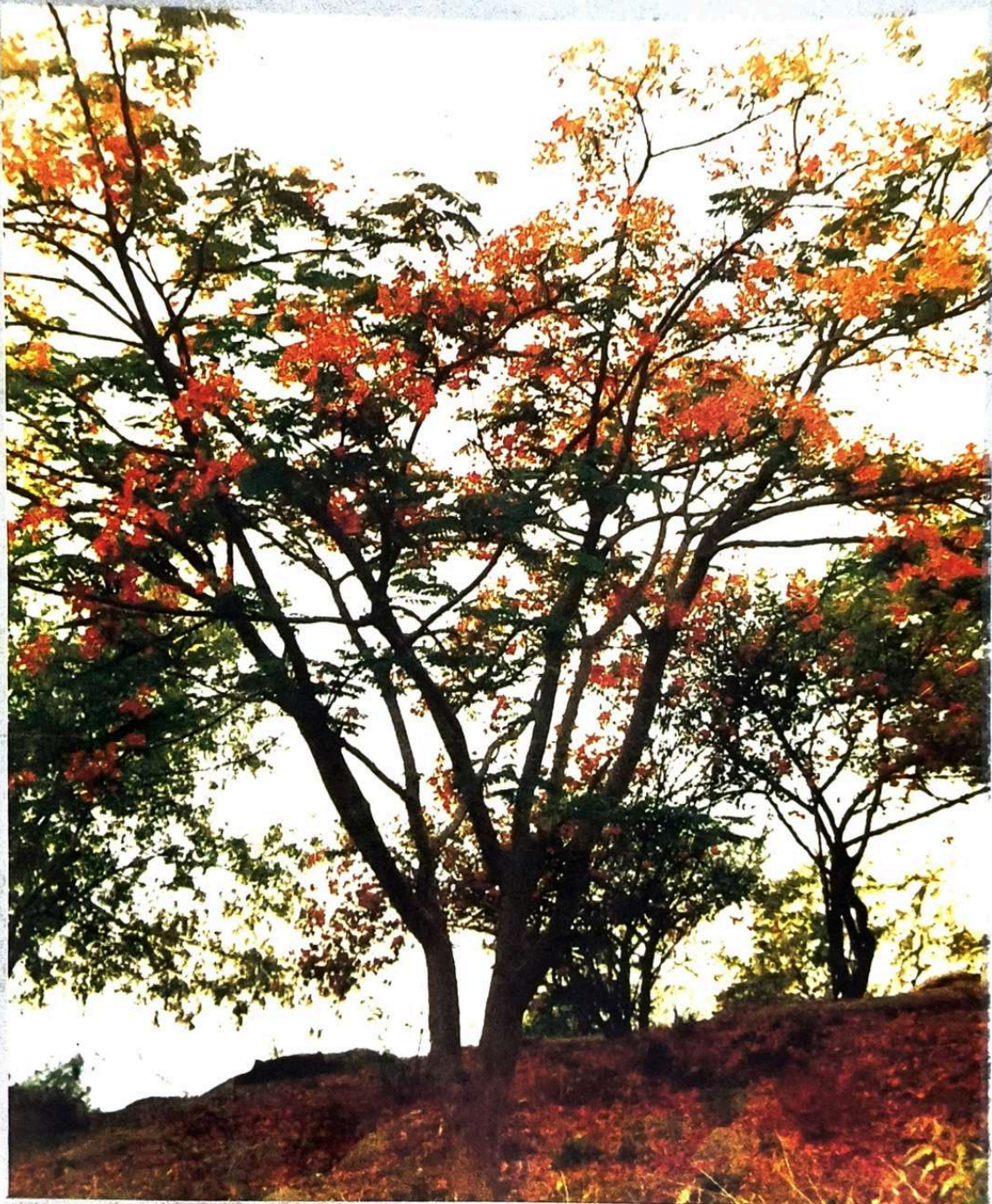
CBI

बुलेटिन
bulletin

A CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION PUBLICATION

खण्ड 3, अंक 8—अगस्त 1995

Vol. III, No. 8—AUGUST 1995



Landscape in and around NPA Campus



सी.बी.आई. बुलेटिन CBI bulletin

A CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION PUBLICATION

खण्ड 3, अंक 8—अगस्त 1995

OFFICIAL PUBLICATION OF
THE CENTRAL BUREAU OF
INVESTIGATION
(INDIA)

Central Bureau of Investigation
(Coordination Division)
Lok Nayak Bhavan (8th Floor)
Khan Market
New Delhi-110 003
Tel : 4624884

Editor

RAJENDRA KAUL
Dy. Director
(Coordination Dn.), CBI

Associate Editors

ASHOK SURI
Asstt. Director
(Interpol), CBI

K.N. GUPTA
Asstt. Director
(Coordination Dn.), CBI

The views expressed in the 'CBI Bulletin' are exclusively of the authors and do not correspond necessarily to the official views of the Central Bureau of Investigation.

RESTRICTED FOR POLICE USE

Vol. III, No. 8—AUGUST 1995

Contents

- (ii) सम्पादकाय/EDITORIAL
- FOCUS
- 1 LEAD NOTE ON MEASURES/STEPS TAKEN BY THE STATE GOVTS. TO PROTECT WEAKER SECTIONS OF THE SOCIETY
—K. Vijaya Rama Rao
- FEATURES
- 4 RAPE—A HORRENDOUS CRIME
—Sankar Sen
- 8 INVESTIGATION AND PROSECUTION OF CONSPIRACY CASES [PART-II]
—Prof. R. Deb
- 21 WHAT MAKES A POLICEMAN GO WRONG?
—H.S. Sandhu
- 26 CONTROLLED DELIVERY
—A.K. Derashri
- 29 प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था
—डॉ० उर्वी
- INNOVATIONS
- 32 EPIDERMIS OF CANNABIS SATIVA—SURFACE MICRO MORPHOLOGY AND N.D.P.S. ACT, 1985—A PERUSAL AND SCAN
- REGULAR FEATURES
- 48 IN HOME NEWS
- 51 NEWS & NOTES
- 53 LEGAL NOTES
- 55 BOOK REVIEWS/पुस्तक-समीक्षा
- 58 CARTOON
- NEWS FROM INTERPOL
- 59 INTERPOL NOTICES

प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था

—डॉ० उर्वी*

गुप्तचरों को नियुक्त करने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में प्रत्येक राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए गुप्तचरों को नियुक्त करता था। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में इन गुप्तचरों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये गुप्तचर भेदिये भी कहलाते हैं इनका कार्य वेध बदलकर अपने या दूसरे राज्य के राजतन्त्र में या अन्य किसी क्षेत्र में हो रही गतिविधियों को देखना है। इसीलिए सर्वत्र इनका निर्बाध विचरण होता है। उन सभी बातों की जानकारी ये गुप्तचर अपने-अपने स्वामियों अथवा उच्चाधिकारियों को देते हैं जो आगे की कार्यवाही करते हैं। अनेक संस्कृत ग्रन्थों में गुप्तचरों का उल्लेख प्राप्त होता है।

मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि राजा सायंकाल की सन्ध्योपासना करके दूसरे कक्ष के भीतर एकान्त स्थान में स्वयं शस्त्र को धारण करके गुप्त समाचारों को बतलाने वाले गुप्तचरों के कार्यों को सुने और उसके पश्चात् गुप्तचरों को जाने की अनुमति देकर परिचारिकाओं से परिवृत्त होकर भोजन के लिए पुनः अन्तःपुर में प्रवेश करे—

सन्ध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेशमनि शस्त्रभूत।
रहस्याख्यायिनां चैवं प्रणिधिनां च चेष्टितम्॥
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्।
प्रविशेद्भोजनार्थं च स्त्रीवृत्तोऽन्तःपुरं पुनः॥

[मनुस्मृति—7. 223-224]

इस उद्धरण के अनुसार मनु ने गुप्तचर को प्रणिधि कहा है।

कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र (भाग 1, अधिकरण 2, अध्याय 35, प्रकरण-55) में राजकार्यों के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न वेधों में, यथा—गृहपति, व्यापारी, तपस्वी के वेधों में प्रजाजनों में अज्ञात रूप में प्रवेश करके गुप्त सूचनाएं एकत्र कर राज्य को देने का निर्देश किया है। ये शत्रु द्वारा भेजे गए हानि पहुंचाने वाले पुरुषों का पता लगाकर भी राज्य को सूचना देते हैं।*

किरातार्जुनीयम् के प्रथम सर्ग के चतुर्थ श्लोक में 'गुप्तचरों को 'चार' नाम देते हुए तथा उनका महत्व बताते हुए कहा गया है कि वे राजाओं के नेत्र का कार्य करते हैं। राजा स्वयं सर्वत्र जाकर सब कुछ नहीं देख सकते। ये चार अथवा गुप्तचर ही इधर-उधर जाकर राजा के लिए सूचनाएं एकत्र करते हैं। इसी श्लोक में गुप्तचर को वह प्रेरणा दी गई है कि गुप्त कार्य में नियुक्त सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूप नेत्रों वाले स्वामी ठगे नहीं जाने चाहिए—

क्रियासु युक्तैर्नृप चारचक्षुषो,
न वञ्चनीयाः प्रमथोऽनुजीविभिः ।

इसी प्रकार हितोपदेश में भी कहा गया है कि जिसके पास अपने दूसरे राज्यों के कार्यों को देखने वाले गुप्तचर नहीं हैं वह राजा अन्धे के समान है—

भवेत्स्वपरराष्ट्राणां कार्याकार्यावलोकने।

चारचक्षुर्महीमर्तुर्यस्य नास्त्यन्ध एव सः॥ [हितोपदेश—2-34]

वेद में गुप्तचरों को स्पश कहा गया है। वेद में गुप्तचरों का उल्लेख राज्य की संस्था के रूप में नहीं है। स्पश शब्द की निष्पत्ति स्पश (बाधनस्पर्शनयोः) धातु से क्विप् प्रत्यय के द्वारा होती है। जहां यह शब्द अकारान्त है, वहां अच् प्रत्ययान्त माना गया है। तदनुसार स्पश स्पर्श करने वाला, पकड़ने वाला, बाधने वाला है। एक मंत्र (ऋग्वेद—10.35.8) में सूर्य को ^{स्पष्ट}अर्थों का स्पश अर्थात् स्पर्श करने वाला कहा गया है—गिषवा इदुस्ता स्पदेति सूर्यः। स्वामी दयानन्द के अनुसार "स्पशम्" का अर्थ बन्धकम् (ऋग्वेद—4.13.3) तथा दूतम् (यजुर्वेद—33.60) है।

ऋग्वेद (1.33.8) में वृत्र के अनुचर युद्ध के लिए उद्यत इन्द्र को जीतने में समर्थ नहीं हुए तब उन्हें वहीं पर रोकने के लिए इन्द्र ने सूर्य से उन बाधक वृत्र के अनुचरों को रोक दिया। यहां स्पश का अर्थ 'सूर्य' है जो कि बन्धक है—

चक्राणासः परीबहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुभ्रमानाः ।
न हिन्वानासस्तितरुस्त इन्द्रं परि स्पशो अदध्यात्सूर्येण ॥

ऋग्वेद (4.4.3) में अग्नि को कहा गया है—हे अग्नि (तू) तीव्रगामी है तू सत्य और झूठ को जानने के लिए शत्रुओं के प्रति परिबाधक (परबाधकम्) रश्मियों अर्थात् गुप्तचरों को प्रेरित कर। किसी से भी अहिंसित तू अपनी प्रजा का पालक बन—

प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमोन्वा पायुर्विशो अस्या अदब्धः ।

यहां स्पश का सम्बन्ध अग्नि से है जो शत्रुओं के प्रति अपने स्पशों अर्थात् गुप्तचरों अथवा परिबाधक रश्मियों को प्रेरित करता है।

ऋग्वेद (4.13.3) में सूर्य को भी एक गुप्तचर बताया गया है। यहां स्पश सूर्य का विश्लेषण है—

तं सूर्यं हरितः सप्त वह्नीः स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ।

इसमें कहा गया है कि महान् हरणशील सात घोड़े समस्त प्राणिसमूह के जाता (स्पश) सूर्य का वहन करते हैं अर्थात् सूर्य समस्त प्राणि-जगत् को जानने वाला है। वह अपना प्रकाश सर्वत्र फैलाता है और सब कुछ जान लेता है। स्वामी दयानन्द ने यहां स्पश का अर्थ दूतम् लिया है क्योंकि जैसे सूर्य सब कुछ जानने